न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 33 / 2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021 / 00036

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा	बनाम	अभियुक्त :– श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जानकी लाल पोरवाल मैसर्स – पोरवाल मिष्ठान भण्डार, हाउसिंग बोर्ड, टेम्पो स्टेण्ड, बॉसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28.07.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 24–06–2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 27–03–2021 को 10.15 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु मैसर्स पोरवाल मिष्ठान भण्डार, हाउसिंग बोर्ड, टेम्पो स्टेण्ड, बॉसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जानकी लाल पोरवाल उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान में काउन्टर में एक स्टील की ट्रे में करीब 8–10 कि0ग्रा0 बेसन लड्डु घी में बने आम जनता को विक्रय हेतु पाये गये। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए 2 कि0ग्रा0 बेसन लड्डु घी में बने वास्ते नमुना जॉच हेतु साफ, सुखी एवं खाली स्टील भगोने में जॉच हेतु क्रय कर इनकी कीमत 640 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा 2 कि0ग्रा0 बेसन के लड्डु को चार साफ, सुखी व खाली चौडे मुह की शीशी में बराबर–बराबर मात्रा मे लेकर फार्मेलीन की 40 बूंद प्रत्येक में डालकर ढक्कन एयर टाईट [illegible] किया। [illegible] भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सी[illegible] सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयो[illegible]

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं [illegible] चिकि. एवं स्वा. अधि[illegible]सवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2021 / 161–162 दिनांक 09.04.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.07.30 11:06:59 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला क[illegible])
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 62 दिनांक 06.04.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **बेसन लड्डु घी के बने** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 24–06–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 28.07.2021 को अभियुक्त **श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जानकी लाल पोरवाल** ने न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/161–162 दिनांक 09.04.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 62 दिनांक 06.04.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **बेसन लड्डु घी के बने** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गये **बेसन के लड्डु घी के बने** विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जानकी लाल पोरवाल मैसर्स – पोरवाल मिष्ठान भण्डार, हाउसिंग बोर्ड, बॉसवाडा को रूपये 10,000/– (अक्षरे रू. दस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.07.30 11:06:59 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)

Scanned with CamScanner

तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.07.30 11:06:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner